



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 178 राँची, सोमवार,

21 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 मार्च, 2025

संख्या-3/आरोप-11-55/2014 का---29407(HRMS)--श्री विष्णुदेव कच्छप, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 115/20), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक- 443/स्था0, दिनांक 15.10.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है ।

2. उक्त आरोप पत्र में श्री कच्छप के विरुद्ध कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या- 6228, दिनांक- 25.09.2024 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पद पर हुये पदस्थापन के उपरांत योगदान नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित है। साथ ही निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज करने एवं सरकारी सेवा आचार नियामवली, 1976 के नियम-3(1)(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

3. उक्त आरोपो के संबंध में विभागीय पत्रांक-8194, दिनांक- 18.12.2024 के द्वारा श्री कच्छप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

4. उक्त के क्रम में श्री कच्छप के द्वारा आवेदन दिनांक- 02.01.2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री कच्छप के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जबाव में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि-

(क) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-6239, दिनांक- 25.09.2024 के द्वारा उन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया गया ।

परन्तु परिवहन विभाग द्वारा उनके स्थान पर किसी अन्य प्रतिस्थानी का पदस्थापन नहीं किया गया। जिसके कारण वे जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित रहे ।

(ख) वे दिनांक- 05.10.2024 से 13.10.2024 तक पूर्व में उपायुक्त साहेबगंज के अनुमति के पश्चात् छुट्टी पर गये थे।

(ग) अवकाश के दौरान मेरी तबियत अत्यंत खराब रहने लगी एवं बार-बार सिर में दर्द, चक्कर एवं सुनापन आने की शिकायत होने लगी। जिससे मैं बहुत कमजोर हो गया था। चिकित्सक को दिखाने पर उन्होंने मुझे दवा एवं बेड रेस्ट की सलाह दी ।

(घ) दवा से भी अपेक्षित सुधार नहीं होने एवं पूर्णतः कमजोर होने की अवस्था में मैंने पुनः दिनांक- 14.10.2024 से 29.10.2024 तक कुल 16 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने एवं मुख्यालय छोड़ने हेतु उपायुक्त साहेबगंज को आवेदन दिया। चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण वे नवपदस्थापित पद पर योगदान नहीं दे सके ।

पूर्व में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे द्वारा पूरी कर्तव्यनिष्ठा एवं इमानदारी पूर्वक सम्पन्न कराने के निमित्त उच्च पदाधिकारी के द्वारा मेरे कार्यों को सराहते हुए प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है ।

5. श्री कच्छप के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में दिनांक 28-10-2024 को योगदान समर्पित किया गया है ।

6. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समरूप मामले में अन्य तीन पदाधिकारियों के विरुद्ध भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित की गयी है ।

7. उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं उक्त आरोप के संबंध में श्री कच्छप से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कच्छप को भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः समीक्षोपरान्त श्री विष्णुदेव कच्छप, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-115/20), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विष्णुदेव कच्छप, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक-115/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VISHNU DEV KACHHAP 20080400130	श्री विष्णुदेव कच्छप, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक-115/20), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
